पुस्तक - ५

इस्लामी कानून के स्रोत

नूरजहाँ सफिया नियाज़
विमेन्स रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप

इस श्रृंखला की अन्य पुस्तिकाएं

१. इस्लामी कानून के विकास का इतिहास

२. तलाक़ पर कुरानी आयात की समझ और व्याख्या

३. मुस्लिम समाज का संचालन करनेवाले कानून

४. तलाक़ के बाद निर्वाह खर्च - मुस्लिम महिलाओं का प्रमुख प्रश्न

५. इस्लामी कानून के स्रोत

इस्लामी कानून के स्रोत

नवम्बर २००५

विमेन्स रीसर्च ॲण्ड ॲक्शन ग्रुप

१०१ जैतून व्हिला, वाकोला मार्केट, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०५५

दूरभाष : +९१-२२-२६६७३७९९ / २६६७२०१५ फॅक्स : २६६७३७९९

ई-मेल : **wrag@vsnl.com**

इस्लामी कानून के विकास का इतिहास

प्रथमावृत्ती : नवम्बर २००५

इस प्रकाशन के लिए मदद : कॉन्स्युलेट जनरल, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, मुंबई

प्रकाशक : विमेन्स रीसर्च अॅन्ड एक्शन ग्रुप, १०१, झैतून व्हिला, वाकोला मार्केट,
सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०५५.

मुद्रक : सुधीर जोगळेकर, एमराल्ड कॉर्नर, मराठा कॉलनी, टिळकवाडी, बेलगाम ५९० ००६

आभार

निम्नलिखित व्यक्तियों के बहुमूल्य परामर्श के लिए हम कृतज्ञ है ।

डॉक्टर असग़र अली इंजिनियर, कासनड्रा बालचिन, डॉ. रमला बख्शमूसा, अ‍ॅड. सईद अहमद उरैज़ी, अमृता शोधन, सौम्या उमा, वहीदा नैनार।

शीराज़ बलसारा, गुलशन दलाल और श्रीहर्ष कौषिक के तकनीकी सहयोग के लिए हम आभार करते हैं।

इस्लामी कानून के स्त्रोत

इस्लाम एक ऐसा धर्म है, जिसके बारे में यह मान लिया गया है की इसमें परिवर्तन नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसमें बदलाव नहीं हो सकता और इस में एक प्रकार का ठहराव है। मुसलमानों को पिछडा बताने के लिए इसकी जडता का सदैव प्रचार किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश मुसलमानों के संकीर्णवादी और कठमुल्ला तत्त्व भी कुछ ऐसा ही प्रचार करते हैं की कुरान का केवल एक ही अर्थ होता है और ऐतिहासिक रूप से उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस प्रकार इस्लाम के बारे में गलत राय है की इसके कानून बदल नहीं सकते और वह एक ही प्रकार का है, अखंडित है।

इस्लामी न्याय शास्त्र के अंदर ही उसे बदलने के तत्व मौजूद है। कानून के कई ऐसे स्त्रोत और तरीके है जिनकी सहायता से नए कानून बनाए जा सकते है।

इस पुस्तिका में हम यह देखने की कोशिश करेंगे की सदियों से इस्लामी कानून में कैसे कैसे और क्या क्या परिवर्तन आए है? जहाँ जहाँ इस्लाम फैला, वहाँ की संस्कृति और राजनिति और समाजिक आर्थिक अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए खलीफाओं और उलेमाओं ने समय समय पर इस्लामी कानून में परिवर्तन लाए हैं। यह प्रक्रिया एक सदा चलते रहने वाली प्रक्रिया है, यहाँ तक की आज भी अलग अलग मुस्लिम संप्रदाय की विशेष मांग और जरूरत के अनुसार इस में परिवर्तन लाया जाता है।

आगे हम निम्नलिखित मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे ।

१. इस्लामी कानून के स्त्रोत.

२. नए कानून बनाने के लिए इस्लामी उलेमाओं द्वारा अपनाया गया तरीका.

इस्लामी कानून के स्त्रोत :

इस्लाम के अनुसार जो अच्छा है, उसे अपनाया जाए, स्वीकाराया जाए और लागू किया जाए और जो बुरा है, नुकसान पहुंचाता हो, उसे छोड दिया जाए, यही कानून है। अच्छे और बुरे की व्याख्या सुन्नत और कुरान के संदर्भ में करनी चाहिए। वे ही इस्लामी कानून की जडे हैं, स्त्रोत हैं। यदि कभी किसी खास विषय या समस्या पर कुरान और सुन्नत से सीधे सीधे निर्देश नहीं मिलते हो तो उसके लिए शरीअत के कुछ सिद्धांतों की रौशनी में अपनी सोच अपनानी चाहिए, अपने विचार अपनाने चाहिए। क्योंकि कुरान और सुन्नत इस्लामी कानून के विशेष स्त्रोत है, इसलिए आईए उनके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करें।

कुरान :

कुरान शब्द ‘‘करा’’ से आया है। इसका मतलब है पढ़ना और पढ़कर बोलना। ६०९ ईसवी से लेकर ६३२ ईसवी तक अलग अलग समय में जिब्रील फरिश्ते ने कुरानी आयतों के द्वारा ईश्वर

का पैगाम पहुंचाया। ईश्वर ने उन्हें पैगाम दिया या फिर पैगंबर साहब ने ईश्वर से अलग अलग समस्याओं पर प्रश्न पूछे, तो ईश्वर ने उनका उत्तर दिया। बाद में वे उन्हें अपने साथियों को (सहाबियों) को ईश्वर का वह संदेश सुनाते, तो वे लोग उन्हें कंठस्थ कर लेते या खजूर, ताड के पत्तों इत्यादि पर लिख लेते। अब कुरान पूरे २३ साल तक प्रकट होता रहा। आयतें जैसे ही उतरती उन्हें कंठस्थ कर लिया जाता था, लिख लिया जाता था।

पैगंबर साहब के बाद पहले खलीफा, हजरत अबू बकर ने पहली बार सभी आयतों को सुनियोजित ढ़ंग से संकलित किया। तीसरे खलीफा, उस्मान ने उसे पुस्तक का रूप दिया। जो आज भी कुरान के नाम से जाना जाता है।

‘अनुवाद करते समय, किसी भी शब्द का न केवल अर्थ जानना चाहिए बल्कि यह भी जानना चाहिए कि उस शब्द के और भी क्या क्या अर्थ हो सकते हैं और वह शब्द किस एतिहासिक संदर्भ में आया है। कुरान पढ़ते समय यह जानना जरुरी है की उसके शब्द किस विशेष संस्कृति के समूदाय से संबंधित हैं और व उस काल के लोगों के द्वारा किस

वर्तमान में कुरान में जितनी भी आयतें है वह उस्मान काल की हैं और उस समय से लेकर आज तक उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। कुरान की भाषा अरबी है। इसके ३० अध्याय (सिपारा) है, जिनमें कुल मिलाकर ११४ आयतें हैं।

इस प्रकार कुरान इस्लामी कानून का बुनियादी स्रोत है। उसमें जो भी है उसे ईश्वर ने कहा है। वह ईश्वरवाणी है।

इसमें एक विशाल नैतिक निर्देश के रूप में इस्लाम धर्म के विचारों का संकलन है। उन आयतों और ऐश्वर्य प्रवचनों के द्वारा पैगंबर साहब ने उस जमाने की रीत रिवाज को सुधारकर उन्हें इस्लामी स्वरूप दिया।

कुरान अरबी भाषा में है। अरबी भाषा के हर शब्द के कई मायने होते हैं। इसलिए कुरान में जो अरबी शब्द हैं, उनके भी कई मायने होते हैं। इस वजह से उसके अनुवाद और व्याख्या में कठिनाईयाँ होती हैं।

उपर वर्णित कठिनाईयों के कारण कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता की उसने कुरान का सबसे सही अनुवाद और व्याख्या की है। यह जान लेना जरुरी है की कुरान, कानून का संकलन नहीं है। कानूनी समस्याओं का इसमें सीधे सीधे कोई उपाय नहीं है। यह केवल ऐसे मापदंड और मूल्य तय कराता है जिसकी रौशनी और निर्देश में मुसलमान अपनी जिंदगी गुजारे और कानून बनाए।

सुन्नत :

कुरान के बाद सुन्नत इस्लामी कानून का दूसरा स्रोत है। सुन्नत के मायने है तरीका, विधि। पैगंबर साहब ने एक कानूनी परिभाषा के रूप में इस शब्द का उपयोग किया पर जिससे यह भी पता चले की उन्होंने कब क्या कहा था और किया था।

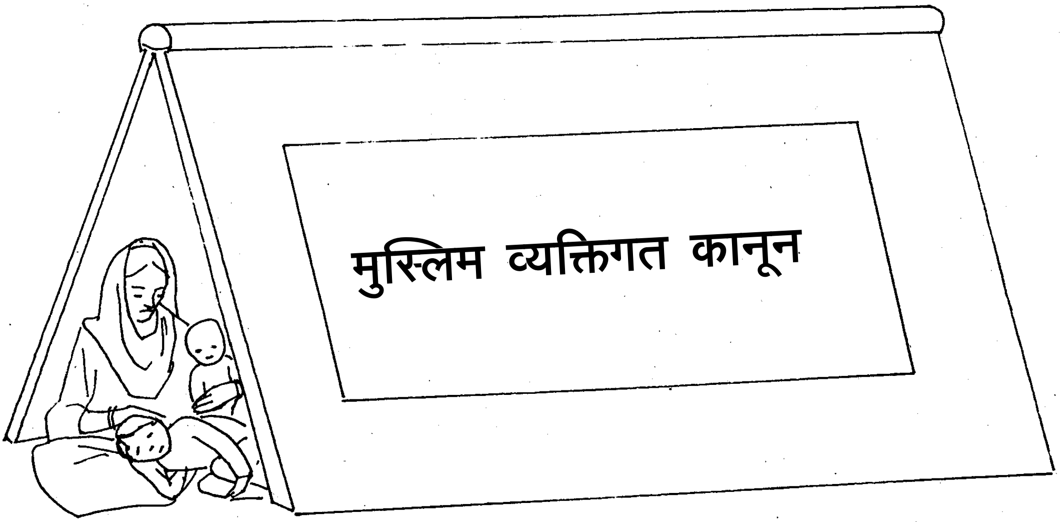

आम लोगों को सुनी सुनाई उल्झी बातों को साफ साफ समझाने के लिए पैगंबर साहब ने जीवन के हर क्षेत्र में ठोस उदाहरण रखने का प्रयास किया। सुन्नत का मकसद था की इस्लाम के माननेवालों को ईश्वरवाणी के बारे में व्याख्या दी जाए। इस प्रकार वास्तव में सुन्नत कुरान के सिद्धांतों की व्याख्या है, जिसे पैगंबर साहब ने शब्दों में बयान किया और अपने आचरण में अपनाया।

इस प्रकार सुन्नत पैगंबर साहब के वे शब्द और कार्य (दिनचर्या) है, जिसे उनके साथियों (सहाबियों) ने देखा और सुना। यह एक ऐसा कायदा-कानून है जो पैगंबर साहब के आदर्श जीवन पर आधारित है। जहाँ जहाँ कुरान में समस्या पर सीधे सीधे बात नहीं की गई वहाँ उनके साथियों से संपर्क किया गया। फिर वे उन बातों को दोहराते थे, जिन बातों को उन्होंने पैगंबर साहब से ऐसे हालात में सुना था या देखा था।

सुन्नत को तीन भागों में विभजित किया गया है।

१. **सुन्नतिल फिलः** पैगंबर साहब द्वारा की गई परंपराएं।

२. **सुन्नतिल कौलः** पैगंबर साहब द्वारा कही गई बातें।

३. **सुन्नतिल तकरीरः** पैगंबर साहब की अनुमति से कोई काम, उनकी मौजूदगी में किया गया। या फिर ऐसा काम, जिसमें उनकी मंजूरी शामिल थी।

सुन्नत को जबानी याद कर लिया जाता था। उसे लिखा नहीं जाता था, क्योंकि पैगंबर साहब को शंका थी की यदि वह लिखा गया तो लोग उसे कुरान से ज्यादा या फिर उसके बराबर का दर्जा देने लगेंगे।

इब्ने असाकर की एक हदीस के मुताबिक पैगंबर साहब ने फर्माया - ''मेरा हवाला देकर हदीस को

बयान करने वाले होंगे। इसलिए तुम कुरान की रौशनी में फैसला करो। अगर कोई बात कुरान की रौशनी में मेल खाती हो, तो उसे स्वीकारो।'' उन्होंने आगे कहा, ''अगर मै तुम्हें मजहब के बारे में कुछ आदेश देता हूं तो उसे मानो। लेकिन जब मैं संसारिक मामलों पर कुछ कहता हूँ तो मैं एक आदमी जैसा हूँ।''(बुखारी)

एक और हदीस - ''मेरे शब्द ईश्वर के शब्दों को निराकार नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर के शब्द मेरे शब्दों को निराकार कर सकते है।''

इससे यह पता चलता है कि कुरान को सन्नत से अधिक महत्ता प्राप्त है, जो कुरान की केवल एक व्याख्या है।

बाद में सुन्नत का भी संकलन किया गया। उसका वर्गीकरण करके कोशिश की गई की उसे भी एक किताब का रूप दिया जाए। यह भी पता चला की कई सुन्नत असली नहीं है, और उसमें लिखी गई कई बातें गलत हैं।

हमने पिछले पन्नों में इस्लामी कानून के दो प्रमुख स्रोत को देखा। कुरान और सुन्ना के अलावा हमें फिकह, शरीआ और हदीस वगैरा के बारे में भी सुनाई पडता है। इन इस्लामी कानूनों के विकास के संदर्भ में इन सब को भी हमें अच्छी तरह समझना होगा।

कई धार्मिक नेताओं और उलेमाओं का दृढ़ विश्वास है की यह कानून या शरीअत एश्वैर्य है और इसलिए इसे बदला नही जा सकता है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि समाज की अवश्यकताओं के अनुसार शरीअत कानून में बदलाव लाया जात सकता है।

१. शरीअत :

शरीअत का मतलब है - रास्ता या वह रास्ता जिस पर चला जाए। इस का मतलब है इस्लाम का लोहे जैसा सख्त कानून। यह 'शरा' शब्द से बना है जिसका मतलब है खुलापन, साफसाफ जो दिखाई दे। कानून की भाषा में यह इस्लामी कानून है।

शरीअत के कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कई उलेमाओं में आपसी मतभेद हैं। मिसाल के तौर पर कई उलेमाओं ने तीन तलाक को उचित ठहराया है। यानि एक ही बार में तलाक हो जाता है और यह संपूर्ण तलाक है। उनकी मान्यता का अधिकार सुन्नत और कुरान है। कई ऐसे मुस्लिम उलेमा और कानून विशेषज्ञ है, जो तीन बार एक तरफा जबानी तलाक को पाप समझते हैं। वे भी कुरान और सुन्नत को अपनी मान्यता का आधार बनाते हैं।

इससे इतना तो साबित होता है की तलाक जैसे महत्त्वपूर्ण समस्या पर भी उलेमाओं और कानून विशेषज्ञों में मतभेद हैं। इसी वजह से कई अलग अलग कानूनी विचारधाराएँ उभरी है, जो शरीअत के मुद्दों पर भी आपसी मतभेद का शिकार है। यह विचारधाराएँ अलग अलग मुकाम और संस्कृतियों की उपज है

और उन मकामात और समाज की जरुरतों के अनुसार ही उनका विकास हुआ है।

२. फिकह :

फिकह शब्द का साहित्यिक अर्थ है बुद्धि। न्यायशास्त्र के संपूर्ण ज्ञान को यह नाम दिया गया है। यह अधिकारों और कर्तव्यों का वैज्ञानिक इस्लामी कानून है जो कुरान और सुन्नत से लिया गया है।

३. हदीस :

पैगंबर साहब के प्रवचनों और सुन्नत को बयान करने का ब्योरा हदीस कहलाता है। यह पैगंबर साहब के जीवन काल से किसी विशेष बात को लेकर घटित घटना का ब्यौरा है। यह ऐसी घटनाओं का दस्तावेज है, जिन पर पैगंबर साहब ने स्वयं अपना फैसला दिया था। उनकी मृत्यु के बाद ही हदीस लिखी गई। हदीस के लिए हिजरी ४९ से तीसरी सदी हिजरी तक मालूमात, सूचनाएं इकट्ठी की गई। हदीस के कई संकलन हैं।

लेकिन कई बार पैगंबर साहब की परंपराओं को गलत ढ़ंग और परस्पर-विरोधी ढ़ंग से पेश किया गया है और यह तय करना बहुत कठिन था और है की उनकी कौन सी परंपरा और कौन सी जीवन चर्या सही है। उदाहरण के लिए इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जैसे दो महान विद्वानों द्वारा संकलित हदीसों में कई प्रकार का विरोधाभास और फ़र्क मिलता है। हालांकि दोनों की हदीसों के संकलनों को 'सही हदीस' कहा जाता है। कई ऐसी हदीसे, जिन्हें कुछ लोगों द्वारा गलत समझा जाता है, उसी को दूसरे सही मानते हैं। हदीस में लिखे गए शब्दों और घटनाओं को पैगंबर साहब से जोडना ठीक नहीं है। कहा जाता है की उनके सहाबियों (साथ में रहने वालों) ने पैगंबर साहब की बात को इस प्रकार समझा था। अनुसंधान और छानबीन से पता चलता है की पैगंबर साहब के नाम से वर्णित कई हदीसे, उनके बाद की घटनाएं है और इसलिए उनकी मान्यता या सत्यता पर शक की सूई घूमती है। इसलिए हदीस का वर्णन करने के साथ साथ हमें सावधान रहने की जरुरत है। वह सही नहीं भी हो सकती हैं।

कभी कभी सुन्ना और हदीस शब्द के एक ही अर्थ लगाए जाते हैं। लेकिन जैसा की हमने देखा दोनों में फ़र्क है।

कानून बनाने की विधि :

१. इजमा :

इजमा शब्द, जम शब्द से आया है। इसका अर्थ एक साथ जमा होना या इकठ्ठा होना। इजमा, इजतेहाद भी है, जो एक विशेष पीढ़ी के उलेमाओं और न्यायशास्त्रियों द्वारा स्वीकार किया गया है।

इस बात की संभावना है की सभी न्यायशास्त्री किसी विशेष समस्या पर एकमत न हों। फिर भी एक प्रक्रिया की शुरुआत तो हो सकती है, जिसके द्वारा उलेमा या न्यायशास्त्री, मुसलमानों की किसी समस्या को सुलझाने के लिए एकमत तो हो सकते हैं।

न्यायशास्त्रियों या उलेमाओं की रायत की मान्यता उस समय हो सकती है, जब वे अपनी

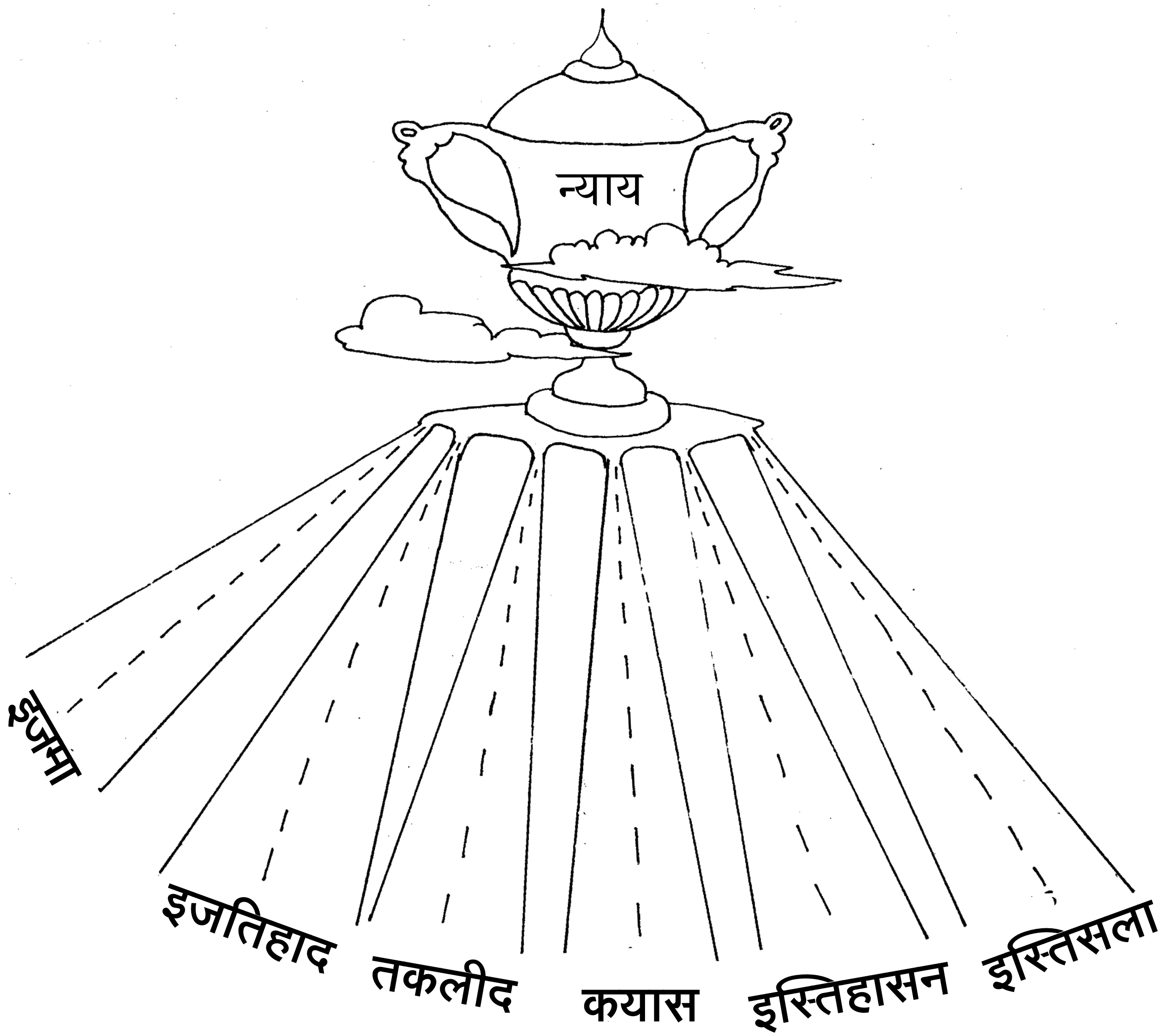

क्षमता को समाज की समस्या के समाधान के लिए उपयोगी बनाएं। किसी भी समस्या पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतभेद होना कोई जुर्म नहीं।

किसी भी विशेषकाल में किसी विशेष समस्या पर एकमत इजमा है। यह पैगंबर साहब की राय नहीं है, लेकिन विचार विमर्श के बाद न्यायशास्त्रियों और उलेमाओं की राय है। यह तरीका पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद सामने आया जब की कुछ कानूनी मामलों में उनकी राय की जानकारी नहीं मिल सकी। बहुमत राय होने से यह स्वाभाविक रूप से शुरु

हुआ, जिससे किसी व्यक्तिगत समस्या को सुलझाने में मदद मिली।

सुन्नी मुसलमानों के कानूनों के हर वर्ग में इजमा की विशेषता है। इसके द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता प्राप्त है और यह सभी वर्ग पर लागू होता है। लेकिन किसी काल में इजमा द्वारा लिया गया फैसला, उसी काल के दूसरे फैसले से बदल भी सकता है।

आम राय पर पहुंचाने के लिए तीन सीढियाँ हैं।

क. लोग अपनी राय व्यक्त करें।

ख. वाद विवाद हो।

ग. मतभेद भुलाकर एक आम स्वीकृत राय हो।

इजमा दो तरह का होता है।

१. **इजमा–अल–उम्मा–** समूची बिरादरी या जाति के समान विचार को इजमा उल उम्मा कहा जाता है।

२. **इजमा–अल–इम्मा** इसमें धार्मिक उलेमाओं और न्याय शास्त्रियों की राय होती है।

इस समय भारतीय मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हर मामले में नाइन्साफी का शिकार हो रही हैं। चाहे वह जबानी एक तरफा तीन तलाक हो, तलाक के बाद खर्च की समस्या हो, या फिर मेहर की छोटी मोटी रकम की समस्या ही क्यों न हो। हर तरफ से मुस्लिम महिलाओं का शोषण हो रहा है।

इस्लामी न्याविधिमें इजमा एक ऐसा हथियार है, जिसके द्वारा न्यायशास्त्री नए कानून बना सकते हैं। इसके द्वारा बिरादरी और जाति की एक आम स्वीकृत राय भी ली जा सकती है।

इसलिए हमारे सामने यह सही समय है की हम इजमा को मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं के लिए उपयोग में लाएं। यानि धर्म न्यायधीशों और समूचे संप्रदाय, विशेषकर महिलाओं को साथ लेकर, वर्तमान कानूनों और समस्याओं पर फिर से विचार करने के बाद सही हल निकालें।

२. इजतेहाद :

इजतेहाद शब्द के मायने हैं 'जहद' यानि किसी व्यक्ति की योग्यता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग। साहित्यिक अर्थों में इसके मायने हैं किसी भी कानूनी समस्या पर स्वतंत्ररूप से फैसला लेना। न्यायशास्त्री कुरान और सुन्नत से कानून की व्याख्या को समझने की कोशिश करते हैं। और उसे समाज में लागू करने की कोशिश करते हैं। उनकी यह व्याख्या कुरान में मौजूद रहती है।

ईश्वर कहता है ''हमने सच्चाई को अपनी किताब में बयान कर दिया है ताकि तुम उस पर अल्लाह के बताए उसूलों के अनुसार फैसला कर सको।

इस आयत से साफ है की खुदा के द्वारा दिए गए निर्देशन को कोई भी समझ कर, लोगों की समस्या को सुल्झाने में उससे मदद ले सकता है।

यमन में मुदह बिन जबल की बतौर राज्यपाल नियुक्ति पर पैगंबर साहब ने उनसे फर्माया था की अगर उन्हें किसी समस्या या सवाल का जवाब

कुरान और सुन्नत में नहीं मिलेगा तो वह क्या करेंगे? मुदह ने जवाब दिया की वह अपने विचारों को थोपने के बजाय इजतेहाद करेंगे। पैगंबर साहब ने उनके उत्तर की सराहना की।

मशहूर शायर इकबाल का कहना है की इजतेहाद, हर मुसलमान का कर्तव्य है। इससे इस्लाम आम मुसलमानों और विश्व से भी जुडता है।

बहुत पहले कानून व्यवसाय प्रशासन इत्यादि सभी मानवीय जरुरतें, इस्लामी कानून के द्वारा नियंत्रित होती थी। लेकिन इजतेहाद की विधि को अपनाने से कई इस्लामी देशों ने पुरातन इस्लामी कानून ढ़ंग को छोड़ कर फौजदारी और दीवानी मामलों के लिए आधुनिक कायदे कानून अपनाए। केवल सऊदी अरब में ही अब तक वैसे पुरातन युग के कानून प्रचलित हैं।

इजतिहाद का मतलब है स्वतंत्र न्याय या व्यक्तियों ने सोच समझकर दी हुई राय या खुद के सोच का इस्तेमाल करना। इजतिहाद का निर्णय लेते समय कुराण और हदिस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, पर उसी समय काल और सार्वजनिक हित पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस मामले न्यायिक तत्त्व खामोष हो, इजतिहाद का इस्तेमाल फ़ायदे के साथ किया जा सकता है।

समाज हमेशा प्रगति करता जाता है। उसके आधुनिक नई तकनीक और विज्ञान के आधार पर नए विचारों का समावेश होता जाता है। इस गति को पडकने और उसके साथ गतिमान होने के लिए मुसलमानों को इजतेहाद का उपयोग करना चाहिए। पैगंबर साहब ने समाज के इस बदलते हुए तेवर को अनुभव करते हुए अपने सहयोगियों और अनुयायियों को इजतेहाद के लिए प्रशिक्षित किया था।

कई इस्लामी देशों और इस्लामी समाजों ने इजतेहाद करते हुए इस्लाम के दायरे में ही अपनी जरुरतो के अनुसार नए सुधारवादी कानून बनाए हैं। इस ओर कोशिश की जानी चाहिए, सभों की बराबरी के कानून बनाए जाएं, ताकि महिलाओं की अवहेलना न हो।

३. तकलीद :

इजतेहाद के बाद तकलीद का एक तरीका भी सामने आया है। तकलीद के मायने हैं, नकल करना। वैसा ही करना जो किया जा रहा है। बिना जाने बूझे की कोई व्यक्ती या समाज

किसी कानून का पालन कर रहा है तो क्यों कर रहा है और किसने उसे इस कानून पर चलने का अधिकार या अनुमति दी है। इतना तो तय है कि हर मुसलमान से यह उम्मीद नहीं की जा सकती की वह शरीअत को जानता समझता होगा। वह उस जैसे ही करता है, जो उससे अधिक जानते समझते है। क्या इसी प्रकार हम बंगलादेश हाईकोर्ट की तकलीद नहीं कर सकते, जिनके फैसले से १९९८ में एक तलाकशुदा औरत को उसका खर्च इत्यादि

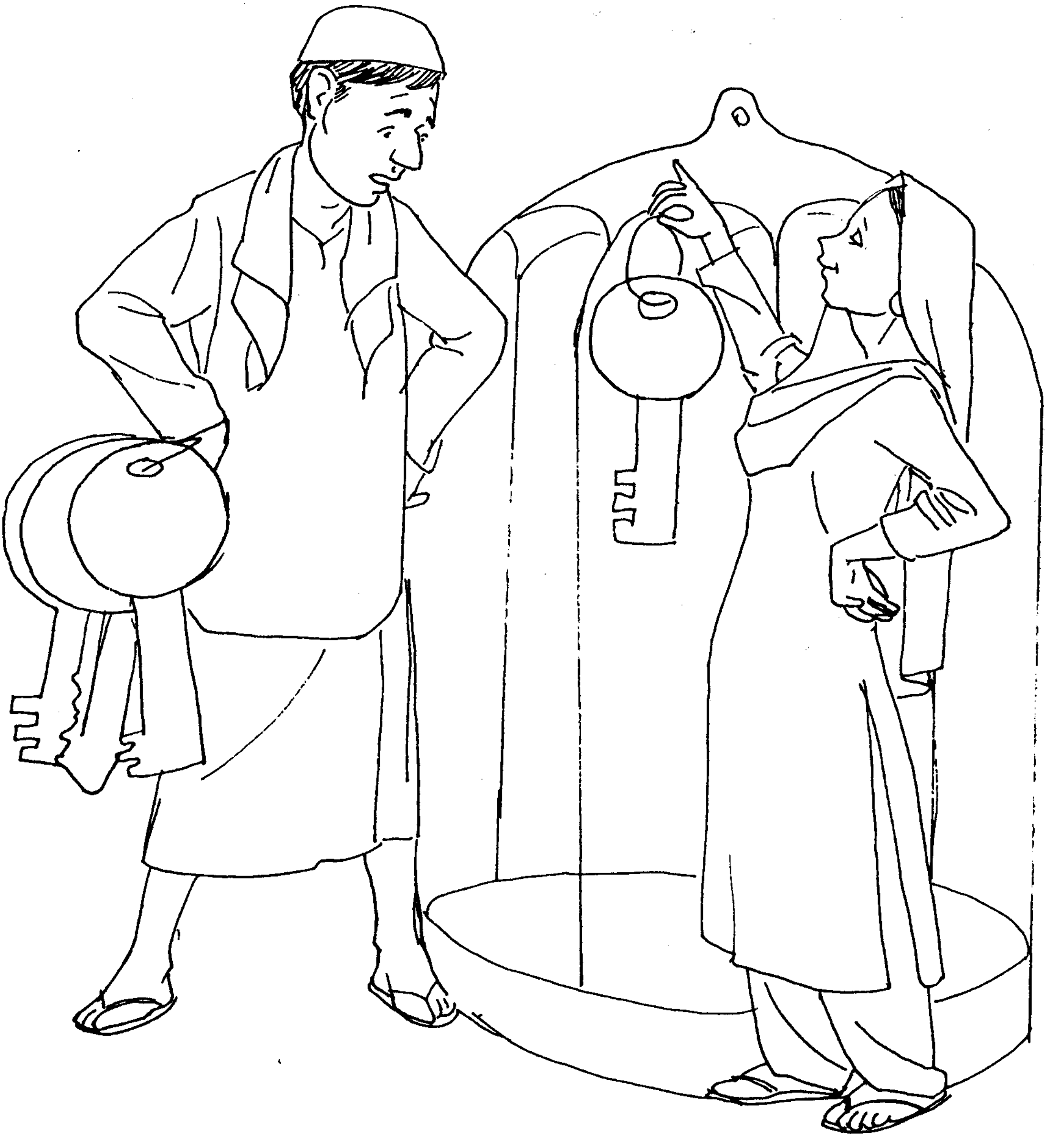

दिलाया गया। वैसा ही फैसला भारतीय मुस्लिम महिलाओं के हक में भी हो सकता है। १९५५ में पाकिस्तान के राशीद कमीशन ने भी स्वीकार किया की उसने १९६१ के मुस्लिम फैमली लॉ ऑर्डिनेंस के सुधारवावदी कानूनों के लिए इजतेहाद की सहायता ली।

४. कयास :

कयास के मायने है नापना या मुकाबला करना या किसी चीज से फैसला करना। किसी एक व्यक्ति की सोच को राय कहते है। जब किसी फैसले के लिए राय दी जाती है तो उसे कयास कहा जाता है। इसका मतलब हुआ की किसी भी एक मामले में या दूसरे मामले में कानून को लागू करना, क्युंकि दूसरा मामला पहले मामले से मिलता जुलता है। यह मूलभूत यानि ओरिजनल कानून का विस्तार है, जो एक प्रभावशाली कारणों से किसी विशेष मामले में लागू किया गया है।

इस्तिहासन :

इस्तिहासन मतलब है की कोई भी कानून या नियम, जो आम लोगों के लिए सुविधाजनक और न्यायोचित हो, वे कानून लागू हो। जब भी किसी कानून से लोगों को नुकसान होता हो, उन्हें उचित न्याय नहीं मिलता हो, या उन्हें उससे तकलीफ होती हो, तब न्यायशास्त्री उसे रद्द कर सकते हैं। और उसके बदले में कोई ऐसा कानून बना सकते है, जो लोगों के हित में हो।

इसका साहित्यिक अर्थ है अनुमोदन या मंजूरी और इसे उदारवादी व्याख्या या समता पर आधारित कानून माना गया है। जब किसी सख्त या कडे कानून से तकलीफ हो रही हो, तो न्यायशास्त्री, उलेमा उसे आसान बनाने का प्रयत्न करते हैं। किसी विशेष परिस्थिती में किसी भी कडे कानून में नरमी या उदारवाद लाने के लिए इस शब्द का उपयोग होता है।

जबानी तलाक और फिर तलाक के बाद खर्च इत्यादि के सवाल ने मर्द और औरत के बीच असमानता पैदा कर दी है, इसलिए इसे भारत में उपयोग में लाया जाना चाहिए।

इस्तिसला :

इसका मतलब है मानवीय कल्याण - इस्ति सलाह की इस विधि में लोगों के श्रेष्ठ जनहित के लिए न्यायशास्त्रियों, उलेमाओं द्वारा इसे दृढ़ता से लागू किया जा सकता है। इस विधि का आधार यह है की ईश्वर ने शरीअत कानून को लोगों के हित के लिए बनाया है। शरीअत के द्वारा ईश्वर मानवीय कल्याण चाहता है। विश्लेषण के द्वारा बनाये गये या लागू किये गये कानून को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसे तत्त्व है (या कानूनी मुद्दे है) जो न केवल औरतों के हित को, बल्कि समाज के हित को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरीके को लागू करके जबानी तलाक जैसी नुकसान पहुंचाने वाले कायदे कानून को समाप्त करके समाज का भला किया जा सकता है।

संदर्भ

ग्रंथ

अली, अब्दुला युसुफ, *दि होली कुरान, टेक्स्ट, ट्रान्स्लेशन ॲण्ड कमेंटरी,* नई देहली, किताब भवन, १९६६.

डॉ. अली झीनत शौकत, *एम्पॉवरमेन्ट ऑफ मुस्लिम विमेन इन इस्लाम,* मुंबई, वकील्स, फेफ्फेर ॲण्ड सिमॉन्स लिमि., १९८७.

ॲग्नेस फ्लॅविया, *जजमेन्ट कॉल,* मुंबई, मजलिस, २००१.

डॉ. बक्षमुसा रमला, *द लीगल स्टेटस ऑफ मुस्लिम विमेन : ॲन अप्रेझल ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ इन इंडिया,* मुंबई, रीसर्च सेंटर फॉर विमेन्स स्टडीज, एस.एन.डी.टी. विमेन्स युनिव्हर्सिटी,१९९८.

कॅरोल ल्यूसी (संपा.), *शहाबानो ॲण्ड दि मुस्लिम विमेन ॲक्ट अ डिकेड ऑन : द राईट ऑफ द डिव्होर्स्ड मुस्लिम विमेन ट्रु माटा,* विमेन लिविंग अंडर मुस्लिम लॉज (WLUML) और विमेन्स रीसर्च ॲक्शन ग्रुप(WRAG), १९९८.

कॉम्पेन्डियम ऑफ इस्लामिक लॉज, नई देहली, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, २००१.

दायिफ्फा, विमेन्स अल्जिरिया, विमेन लिव्हिंग अंडर मुस्लिम लॉज, २००१.

डॉ. इंजिनियर, असगर अली (संपा.), *प्रॉब्लेम ऑफ मुस्लिम विमेन इन इंडिया,* हैद्राबाद, ओरिएंट लॉंगमन, १९९५.

डॉ. इंजिनियर, असगर अली, *दि राइट्स ऑफ विमेन इन इस्लाम,* मलेशिया, आयबीएस बाकु एसडीएन बीएचडी, १९९२.

एस्पोसिटो, जॉन एल., *विमेन इन मुस्लिम फॅमिली लॉ,* न्यू यॉर्क, सायरॅकस युनिव्हर्सिटी प्रेस, १९८२.

फैसी असफ ए.ए., *आउटलाइन्स ऑफ मोहम्मेडन लॉ,* देहली, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, १९९७, (४था संस्करण).

फॉर अवरसेल्व्ह्स विमेन रीडिंग द कोरान, विमेन लिव्हिंग अंडर मुस्लिम लॉज, १९९७.

डॉ. गिलानी, रैझ-उ-हसन, *द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ लीगल थॉट इन इस्लाम,* देहली, मारकाझी मक्तबा इस्लामी, १९८२.

हिदायतुल्ला एम. और अर्शद हिदायतुल्ला, *प्रिन्सिपल्स ऑफ मोहम्मेडन लॉ,* मुंबई, एन.एम. त्रिपाठी प्रा.लि., १९९०.(१९वा संस्करण).

खान, मौलाना वाहिदुद्दिन, *वुमन इन इस्लामिक शरिया,* नई देहली, द इस्लामिक सेंटर, १९९५.

महामूद, ताहिर, *पर्सनल लॉ इन इस्लामिक कंट्रीज,* नई देहली, ॲकॅडमी ऑफ लॉ ॲण्ड रीलिजन, १९९५.

सैयिद इम्तियाज ए., *मोहम्मेडन लॉ.*

अधिनियमों की सूची

दि शरियत ॲप्लिकेशन ॲक्ट, १९३७.

दि डिझोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मॅरेज ॲक्ट, १९३९.

दि मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिव्होर्स) ॲक्ट, १९८६.

दि स्पेशल मॅरेज ॲक्ट, १९५४.

रॅग प्रकल्प

- **संशोधन और अभ्यास :**

  ❊ महिलाओं के अधिकारों को लेकर रॅग ने शुरू से ही संशोधन का काम जारी रखा है। पिछले बारह वरसों में रॅग ने अंग्रेजी में सात और हिंदी में दो संशोधन प्रकाशित किए है। जिसकी सूची मलपृष्ठ पर दी गई है।

- **बस्ती-स्तर पर कार्यक्रम :**

  ❊ मुंबई में बस्ती-स्तर पर काम करने वाली महिला मंडलों के सशक्तीकरण का कार्य।
  ❊ युवतीयों के साथ सशक्तीकरण कार्यक्रम।
  ❊ एकल महिलाओं के साथ समुपदेशन (counselling) और आर्थिक सबलीकरण कार्यक्रम।
  ❊ पुरुष और युवाओं के साथ महिलाओं के प्रश्नों पर जागृति कार्यक्रम।

- **मुस्लिम कौटुंबिक कानून में सुधार की मोहिम :**

  ❊ महिला मंडलों को मुस्लिम कानून पर जानकारी देना।
  ❊ महिला मंडलों के संगठन (Federation) को मजबूत करना।
  ❊ राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले मुस्लिम महिलाओं के संगठन को मजबूत करना।
  ❊ मुस्लिम कौटुंबिक कानून में सुधार लाना, ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके।

- **न्याय और जवाबदेही मामले :**

  इस प्रकल्प द्वारा महिलाओं के मानवाधिकार के उल्लंघनों को संबोधित किया जाता है। न्याय और जवाबदेही मामलों पर चर्चा होती है। अल्पसंख्यांक और पीछडी जाती की महिलाओं का सशक्तिकरण करना ताकि वे न्याय और जवाबदेही के मामलों पर चर्चा कर सके और कदम उठा सके।

  इस प्रकल्प में निम्नलिखित कार्यक्रम होते है :

  ❊ आंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय पर जागृती का कार्यक्रम।
  ❊ मानवाधिकार के मुद्दों पर भाषण और संगोष्ठी।
  ❊ महिलाओं में मानवाधिकार के बारे में जागृती और कानून के बारे में जानकारी।
  ❊ महिला कानून सुधार मोहिम और महिला कानून को सही ढंग से लागू करने के मोहिम में सहभाग।

रॅग के बारे में

विमेन्स रीसर्च अँण्ड अॅक्शन ग्रुप (WRAG - महिला संशोधन व कृति समूह) रॅग की स्थापना अप्रेल १९९३ में हुई। मुंबई में १९९२-९३ के कौमी दंगाफसाद और बाबरी मस्जिद के तोडे जाने के बाद हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच दीवार खडी हो गई। मुस्लिम महिला जो वैसे भी पहचान और कौटुंबिक कानून की राजनीती से परेशान थी, उस पर और गंभीर परिणाम हुए। मुस्लिम महिला कौम की तरफ से हो रहे अन्याय से पीडित और दंगों द्वारा कौम के बाहर की स्थिती से भी त्रस्त थी।

व्यक्ति और गुट के स्तर पर जो महिलाएँ संघर्ष कर रही थी, उन के बीच समन्वय स्थापित करना जरूरी था। मुस्लिम महिलाओं की विभिन्नता के बावजूद जो उनके जीवन की हकीकत है, उसे प्रस्तुत करना बहुत जरूरी था। इस प्रस्तुतीकरण के लिए जगह तैयार करने के हेतु रॅग की स्थापना हुई। रॅग ने वह जगह तैयार करने की कोशिश की है जहाँ पीडित, पीछडी हुई महिलाएँ, खासकर मुस्लिम महिलाएँ अपने सवाल उठा सके।

रॅग में महिलाओं का एक गुट काम कर रहा है, जो संशोधन और कार्यक्रम द्वारा महिलाओं के सामाजिक और कानूनी स्तर को आगे बढा सके, खास कर वो महिला जो पिछडी समाज से जूडी है। एक दशक के संशोधन और कृति के बाद रॅग अब महिलाओं के सवालों को मानवाधिकार के चौखट में रखने का काम कर रही है। रॅग भारत के महिला आंदोलन में सक्रीयता से सहभाग कर रही है।

रॅग का सपना

''लैंगिकता से परे, धर्मनिरपेक्ष समाज जो समानता, न्याय पर आधारित हो; जहाँ कानून, मानवाधिकार और लोकतंत्र का आदर हो; एक ऐसे समाज की रचना जहाँ हर औरत, चाहे वह किसी भी जात, जमात, धर्म या समाज की हो, बिना भय, हिंसा और चाह से अपना जीवन पूरी क्षमता से जी सके।''

रॅग का मिशन

रॅग का मानना है कि एक व्यक्तिगत महिला के साथ काम करने से ही पूरे समाज की महिलाओं की सक्षमता की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। इसलिए रॅग महिलाओं के साथ काम करती है, विशेष रूप से पिछडे वर्ग की महिलाओं के साथ ताकि उनकी सामाजिक, आर्थिक और कानूनी स्थिती में, परिवार और समाज में सुधार आ सके। साथ ही बस्ती स्तर से शासकीय नीति तक कार्य करना ताकि महिलाओं के मानवी अधिकारों को आगे ले जानेवाला वातावरण निर्माण हो।

रॅग का उद्देश्य

१. महिलाओं के मानवाधिकार की सुरक्षा एवं प्रगती करना। २. महिलाओं के अधिकार और उनके जीवन की सामाजिक, राजनैतिक सच्चाई पर असर करने वाले मुद्दे/बिषय पर संशोधन करना। ३. सरकारी स्तर पर महिलाओं के अनुभवों और आवश्यकताओं के बारे में समझ तैयार करना। ४. व्यक्तिगत कानून, रीतिरिवाज और अन्य कानून पर समझ बनाना, औरतों पर इसका असर और बदलाव की संभव प्रक्रिया चलाना। ५. महिलाओं में सामाजिक और कानूनी अधिकारों पर जागृती निर्माण करना। ६. बस्ती में रहनेवाली महिलाओं के गुटों के लिए सबलीकरण करना ताकि महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों पर आवाज उठा सके। ७. महिला अधिकार पर काम करनेवाले, पिछडे वर्ग के साथ काम करनेवाले और इन मुद्दों पर रूची रखनेवाले व्यक्तियों के साथ जाल बनाना। ८. कौमवादी और कट्टरवादी ताकतों का विरोध करना और इसका सामना करने के लिए रणनीती तैयार करना। ९. राष्ट्रीय एवं आंतरराष्ट्रीय महिला संस्थाओं के साथ समान मुद्दों पर जानकारी बाँटना और उनसे जुडकर काम करना।

अन्य प्रकाशन

अंग्रेजी

इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट : सम क्वेश्चन्स अँड ॲन्सर्स

सौम्या उमा, २००४

कॉम्बॅटिंग इमप्युनिटी :

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीसी) पर निबंधों का संकलन और उस की भारत के संबंध में प्रासंगिकता

संकलन वहिदा नैनार और सौम्या उमा, २००३

बुकलेट्स ऑन मुस्लिम पर्सनल लॉ

नूरजहाँ साफिया नियाज़, २००३

मुस्लिम विमेन्स व्ह्यूज ऑन पर्सनल लॉज : इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल फॅक्टर्स

वहिदा नैनार, २०००

शाहबानू ॲण्ड द मुस्लिम एक्ट, अ डिकेड ऑन : *ल्यूसी कॅरोल, २०००*

ॲस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर ॲण्ड सोसायटी : मुस्लिम विमेन इन इंडिया, *रॅग, १९९७*

विमेन, लॉ ॲण्ड कस्टमरी प्रॅक्टिसेस :*रॅग, १९९७*

हिंदी

महिला कानून और रीतिरिवाज : *रॅग, १९९९*

भारतीय मुस्लिम महिलाएँ : *रॅग, १९९९*

पुनर्मुद्रण

'इंटरनॅशनल सॉलिडॅरिटी नेटवर्क ऑफ विमेन लिव्हिंग अंडर मुस्लिम लॉ' द्वारा प्रकाशित दस्तऐवज : विभिन्न मुस्लिम समुदाय और देशों में रहनेवाली महिलाओं के जीवन, संघर्ष और व्यूह के बारे में जानकारी देना यह इस नेटवर्क साधन के पीछे की संकल्पना है।

इन दस्तऐवज के १ से २१ खण्ड 'रॅग' ने भारत में पुनर्मुद्रित और वितरित किये है।